[2018] 5 एस.सी.आर. 469

आर. बालकृष्ण भट और अन्य.

बनाम

बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य आदि।

(2014 सिविल अपील संख्या 3762-3764) 16 मई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जेजे.]

सेवा कानून: पेंशन - महंगाई भत्ता - वर्तमान अपीलों में विवाद [2018] 5 एससीआर 436 में रिपोर्ट किए गए मामले में उत्पन्न होने वाले समान हैं - उक्त निर्णय के संदर्भ में खारिज की गई वर्तमानअपील।

इंडियन ओवरसीज बैंक और एक अन्य बनाम सी.आर.

चंद्रशेखरन आदि पर सुप्रीम कोर्ट ने

2013 की सिविल अपील संख्या 8420-8421 में 01.02.2017

को फैसला सुनाया था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की सिविल अपील संख्या 3762-3764।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2013 के निर्णय और आदेश से 2013 की रिट अपील संख्या 1127-1129 में 2017 के आर.पी. (सी) संख्या 1202 के साथ 2013 के सीए नंबर 8422 में 2013 के सीए नंबर 8424 में सुश्री वी मोहना, वीके बाली, आर विदुथलाई, सुकुमार पट्टजोशी, ध्रुव मेहता, सीनियर एडवोकेट, राजशेखर राव, के. हर्ष वर्धन, के. हर्ष वर्धन, के. हर्ष वर्धन, के. हर्ष वर्धन, के. वी. पेश होने वाले पक्षों के लिए निशे राजेन शोन्कर, वीजी प्रगासम, राजेश कुमार, गौरव कुमार सिंह, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय उदय उमेश ललित, जे.1 द्वारा सुनाया गया था। विशेष अनुमति से ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2013 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें रिट अपील संख्या 1127 से 1129 2013 की अनुमति दी गई थी और 2007 की रिट याचिका संख्या 6632, 2007 की 9952 और 2007 की रिट याचिका संख्या 14983 को खारिज कर दिया गया था।

2. वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई उपरोक्त रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.12.2012 के सामान्य निर्णय और आदेश के तहत अनुमति दी गई थी। एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हुए, डिवीजन बेंच ने 2013 की रिट अपील संख्या 355 और संबद्ध मामलों (इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य बनाम सीआर चंद्रशेखरन आदि) में दिए गए अपने फैसले पर भरोसा किया।

3. इंडियन ओवरसीज बैंक और डिवीजन बेंच द्वारा एक अन्य बनाम सीआर चंद्रशेखरन आदि में दिए गए उक्त फैसले की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा 2013 की सिविल अपील संख्या 8420-8421 में दिनांक 01.02.2017 के आदेश के तहत की गई थी।

4. वर्तमान अपीलों में विवाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त कल्याण संघों और अन्य में उत्पन्न होने वाले विवाद के समान है, जिन्हें हमारे द्वारा सम तिथि के फैसले के तहत निपटाया गया है। चूंकि वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे समान हैं, इसलिए इन अपीलों कोयूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य आदि में दिए गए हमारे फैसले के संदर्भ में खारिज किया जाता है।

5. इसलिए अपील और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल की अपील और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज।

Digitally signed by Alka Pandey
Date: 2023.10.26 12:24:10 ULAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court